न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –19/2023 (अपील)

GCMS No.- 2023/204

सोम्या पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी धरमू जाति कुशवाहा निवावसी हाल दीगोद पार तहसील किशनगंज जिला बारां

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. अर्जुन कुशवाह आत्मज महावीर प्रसाद जाति कुशवाहा निवासी 165, प्रताप नगर सेकण्ड बोरखेडा कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 29.08.2019

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश खारोल, अभिभाषक अपीलान्ट
3. श्री लक्ष्मण सिंह गोड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

प्रकरण संख्या 20/2023 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2023/92

सोम्या पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी धरमू जाति कुशवाहा निवावसी हाल दीगोद पार तहसील किशनगंज जिला बारां

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. अर्जुन कुशवाह आत्मज महावीर प्रसाद जाति कुशवाहा निवासी 165, प्रताप नगर सेकण्ड बोरखेडा कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा नामान्तकरण संख्या 870 दिनांक 29.08.2019

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश खारोल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री लक्ष्मण सिंह गोड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

प्रकरण संख्या 21/2023 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2023/205

सोम्या पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी धरमू जाति कुशवाहा निवावसी हाल दीगोद पार तहसील किशनगंज जिला बारां

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. अर्जुन कुशवाह आत्मज महावीर प्रसाद जाति कुशवाहा निवासी 165, प्रताप नगर सेकण्ड, बोरखेडा कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 29.08.2019

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश खारोल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री लक्ष्मण सिंह गोड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

उपरोक्त तीनों अपील संख्या 19/2023, 20/2023 एवं 21/2023 के पक्षकारान, अभिभाषक एवं विषयवस्तु एक ही होने से तीनों अपीलों की एकसाथ बहस सुनी गई तथा निर्णय भी तीनों अपीलों का एकसाथ ही निम्नानुसार किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांक–05.03.2024

1. अपील संख्या 19/2023, का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चेनपुरा में खाता संख्या 64 में अपीलांटा सोम्या द्वारा अपना हिस्सा 1/12 रेस्पोडेन्ट अर्जुन के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड रिलीजडीड के हक त्याग करने पर मुताबिक रिलीज डीड क्रमांक 4351 दिनांक 19.8.2019 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 29.08.2019 को स्वीकृत किया जिसकी अपील दिनांक 14.3.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई ।
2. अपील संख्या 20/2023 ग्राम खेड़ा तहसील लाडपुरा के खाता संख्या 135,136,137 में से सोम्या अपीलान्ट ने अपना 1/12वां हिस्सा रेस्पो0 अर्जुन के पक्ष में रिलीज डीड करने से रजिस्टर्ड रिलीज डीड क्रमांक 4351 दिनांक19.08.2019 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 870 दिनांक 29.08.2019 को स्वीकृत किया गया जिसकी अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 14.03.2023 को पेश की गई है ।
3. अपील संख्या 21/2023 ग्राम जालखेड़ा तह0 लाडपुरा के खाता संख्या 101, व 102 में से सोम्या अपीलान्ट ने अपना 1/12वां हिस्सा रेस्पो0 अर्जुन के पक्ष में रिलीज डीड से हक त्याक करने से रजिस्टर्ड रिलीज डीड क्रमांक 4351 दिनांक19.08.2019 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 29.08.2019 को स्वीकृत किया गया जिसकी अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 14.03.2023 को पेश की गई है ।
4. उपरोक्त तीनों अपीलें दिनांक 14.3.2023 को अपीलांट द्वारा पेश की जाने पर रेस्पोडेन्ट की जरिये सम्मन तलबी की गई । रेस्पो0 नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मण सिंह गोड का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
5. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चैनपुरा तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 64 पर खसरा नम्बर 63 की 0.85 हे0 , खसरा नं0 64 की 0.48 हे0 कुल किता–2 की 1.33 हे0 भूमि में अपीलान्ट के पिता महावीर प्रसाद का 1/3 हिस्सा दर्ज थी, इसी प्रकार ग्राम खेड़ा के खाता संख्या 135 पर खसरा नं0 132 की 0.06 हे0, खसरा नं0 741 की 0.19 हे0,खसरा नं0 742 की 1.17 हे0 कुल 3 किता की 1.42 हे0 भूमि, खाता नं0 136 की खसरा नं0 503 की 1.09 हे, खाता संख्या 137 की खसरा नं0 504 की 0.82 हे0 भूमि में अपीलांट के पिता महावीर प्रसाद का 1/3 हिस्सा दर्ज थी, इसी प्रकार ग्राम जालखेड़ा में खाता नं0 101 पर खसरा नं0 381 की 0.94 हे0, व खसरा नम्बर 382 की 1.30 हे0,कुल 2 किता की 2.24 हे0, भूमि खाता नं0 102 की खसरा नम्बर 380/524 की 0.65 हे0 व खसरा नम्बर 608 /239 दक्षिणी की 0.07 हे0 भूमि कुल 2 किता की 0.72 हे0 भूमि में अपीलांट के पिता

जिला कलेक्टर
कोटा

का 1/3 हिस्सा दर्ज थी, महावीर प्रसाद की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल से अपीलांट, रेस्पो0 नं0 1 के नाम दर्ज हुई । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है । पुश्तैनी भूमि होने से अपीलान्ट व मृतक महावीर प्रसाद के वारिसान का शामलाती रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा रेस्पो0 नं0 1 ने उक्त भूमियों एवं अन्य भूमियों का विभाजन करा लेने की कहते हुए अपीलान्ट को दिनांक 19.8.2019 को कोटा बुलाया ओर पहले से तैयारशुदा दस्तावेज पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा करवा कर पंजीयन करवा लिया व दस्तावेज को पढने भी नहीं दिया । उसके तीन वर्ष तक बराबर अपीलान्ट को रेस्पो0 नं0 1 फसल अथवा उसकी कीमत अदा करता रहा लेकिन इस वर्ष उसके हिस्से की फसल देने से इन्कार कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर खाते की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर उसके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तथा उसके भाई ने हक रिलीज करा कर अपने खाते दर्ज करवाने की जानकारी हुई । जबकि अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि कभी भी हक रिलीज नहीं की है । दिनांक 27.12.2022 को रिलीज डीड की नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 3.1.22 को नकल प्राप्त हुई तथा नामान्तकरण की नकल दिनांक 15.2.2023 को प्राप्त होने पर यह अपीलें पृथक पृथक नामान्तकरणों की पृथक पृथक पेश की है । अपीलान्ट द्वारा आगे बहस में यह भी कथन किया है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है ओर पुश्तैनी भूमि में अपीलांट का 1/12 हिस्सा है जो उसके पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट रेस्पो0 के साथ शामलाती रूप से काबिज काश्त चली आ रही है उसने कभी अपना हक रिलीज नहीं किया । इस कारण उक्त रिलीज डीड कानूनन अवैध अवैधानिक व प्रभावहीन है किन्तु इसके बावजूद भी उक्त अवैध रिलीजडीड के आधार पर रेस्पो0 न0.1 के नाम इंतकाल तस्दीक करने में त्रुटि की है। इस कारण पारित इंतकाल खारिज होने योग्य हैं ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांटा द्वारा अपनी स्वेच्छा से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हक त्याग किया है, रजिस्टर्ड हक त्याग के अधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, जो इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है । जब तक माननीय सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड हक त्याग निरस्त नहीं हो जाता तब तक नामान्तकरण निरस्त नहीं हो सकता है । इसके लिए अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में रिलीज डीड को निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र है । प्रस्तुत तीनों अपीलें विधिक रूप से आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें । आगे वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजेनामे की कार्यवाही चल रही है ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड रिलीजडीड 4351 दिनांक 19.8.2019 की पालना में ग्राम चैनपुरा में नामा0 सं0 293 दिनांक 29.8.2019 को स्वीकृत किया जिसकी अपील सं0 19/2023 पेश की है, ग्राम खेड़ा में नामा0 सं0 870 दिनांक 29.8.2019 को स्वीकृत किया जिसकी अपील 20/2023 पेश की है, एवं ग्राम जालखेड़ा में नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 29.8.2019 स्वीकृत किया गया है । तीनों नामान्तकरणों की पृथक पृथक अपीलें दिनांक 14.3.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जो 2 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश की है । मियाद के सम्बन्ध में बताये गये कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

8. उभयपक्ष की बहस एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि यह अपील रजिस्टर्ड रिलीजडीड संख्या 4351 दिनांक 19.8.2019 की पालना में तीनों नामान्तकरण ग्राम चैनपुरा में नामा0 सं0 293 दिनांक 29.8.2019 को, ग्राम खेड़ा में नामा0 सं0 870 दिनांक 29.8.2019 को एवं ग्राम जालखेड़ा में नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 29.8.2019 स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रजिस्टर्ड रिलीजडीड के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किये गये है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । नामान्तकरण फिस्कल प्रोसिडिंग है । यदि अपीलांट

जिला कलेक्टर
कोटा

यह मानती है कि उनके साथ धोखा हुआ है अथवा धोखे से उनके खाते की भूमि का हक त्याग रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष में करवाया है तो इसके लिए वह सक्षम सिविल न्यायालय में रिलीजडीड को निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र है । इस अपील के जरिये तीनों नामान्तकरणों को निरस्त किया जाना उचित नहीं पाते है ।

9. परिणामस्वरूप तीनों अपीलें को स्वीकार करने के ठोस एवं पर्याप्त विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील संख्या 19/2023, 20/2023 एवं 21/2023 अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

10. निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की मूल प्रति अपील सं0 19/2023 के साथ रखी जाकर शेष अपीलों में प्रमाणित प्रति संलग्न की जावें

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा